पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालयः "ऊर्जानिधि", 1, बाराखम्बा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001

वेबसाइटः http://www.pfcindia.com, सीआईएनः– L65910DL1986GOI024862

स्वच्छ भारत — एक कदम स्वच्छता की ओर

भाग–1 : 30 सितम्बर, 2015 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों (एकल) का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	तिमाही की समाप्ति			छमाही की समाप्ति		वर्ष की समाप्ति
		30-09-2015 (अनंकेक्षित)	30-06-2015 (अनंकेक्षित)	30-09-2014 (अनंकेक्षित)	30-09-2015 (अनंकेक्षित)	30-09-2014 (अनंकेक्षित)	31-03-2015 (अंकेक्षित)
1)	प्रचालनों से आय						
	(क) ब्याज आय	6,89,140	6,70,932	6,15,390	13,60,072	11,97,066	24,58,610
	(ख) अन्य प्रचालनगत आय	13,062	4,597	8,706	17,659	12,657	27,522
	प्रचालनों से कुल आय	**7,02,202**	**6,75,529**	**6,24,096**	**13,77,731**	**12,09,723**	**24,86,132**
2)	**व्यय**						
	(क) ब्याज, वित्त एवं अन्य प्रभार (व्यवस्था सहित)	4,52,537	4,28,483	4,17,055	8,81,020	7,97,403	16,31,355
	(ख) कर्मचारी लाभ व्यय	2,243	2,303	2,388	4,546	4,541	8,581
	(ग) मूल्यह्रास/परिशोधन	145	130	156	275	303	609
	(घ) अन्य व्यय	1,247	15,661	2,789	16,908	5,916	12,312
	कुल व्यय	**4,56,172**	**4,46,577**	**4,22,388**	**9,02,749**	**8,08,163**	**16,52,857**
3)	**अन्य आय और असाधारण मदों से पूर्व प्रचालनों से लाभ (1–2)**	**2,46,030**	**2,28,952**	**2,01,708**	**4,74,982**	**4,01,560**	**8,33,275**
4)	अन्य आय	207	377	435	584	986	4,548
5)	**असाधारण मदों से पूर्व सामान्य गतिविधियों से लाभ (3+4)**	**2,46,237**	**2,29,329**	**2,02,143**	**4,75,566**	**4,02,546**	**8,37,823**
6)	असाधारण मदें	--	--	--	--	--	--
7)	**कर पूर्व सामान्य गतिविधियों से लाभ (5+6)**	**2,46,237**	**2,29,329**	**2,02,143**	**4,75,566**	**4,02,546**	**8,37,823**
8)	**करगत व्यय**	**76,707**	**71,708**	**61,285**	**1,48,415**	**1,16,862**	**2,41,890**
	(क) आयकर का प्रावधान	71,607	69,277	61,369	1,40,884	1,19,892	2,50,288
	(ख) आस्थगित कर देयताएं/(आस्थगित कर परिसंपत्ति)	5,100	2,431	(84)	7,531	(3,030)	(8,398)
9)	**कर पश्चात सामान्य गतिविधियों से निवल लाभ (7–8)**	**1,69,530**	**1,57,621**	**1,40,858**	**3,27,151**	**2,85,684**	**5,95,933**
10)	असाधारण मदें (करगत व्यय घटाकर निवल राशि)	--	--	--	--	--	--
11)	**अवधि में निवल लाभ (9–10)**	**1,69,530**	**1,57,621**	**1,40,858**	**3,27,151**	**2,85,684**	**5,95,933**
12)	एसोसिएटों का लाभ/(हानि) शेयर	--	--	--	--	--	--
13)	अल्प मूल्य ब्याज	--	--	--	--	--	--
14)	**संयुक्त कंपनियों का कर–पश्चात निवल लाभ; अल्प मूल्य ब्याज एवं लाभ/(हानि) शेयर (11+12+13)**	**1,69,530**	**1,57,621**	**1,40,858**	**3,27,151**	**2,85,684**	**5,95,933**
15)	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रत्येक)	1,32,004	1,32,004	1,32,004	1,32,004	1,32,004	1,32,004
16)	संचित कोष, पुर्नमूल्याकन संचित कोष को छोड़कर (31 मार्च को अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार)	--	--	--	--	--	30,89,917
17)	**प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (वार्षित नहीं) (₹ में)**						
	क मूल एवं डाइल्यूटिड ईपीएस (असाधारण मदों से पूर्व)	**12.84**	**11.94**	**10.67**	**24.78**	**21.64**	**45.15**
	ख मूल एवं डाइल्यूटिड ईपीएस (असाधारण मदों के बाद)	**12.84**	**11.94**	**10.67**	**24.78**	**21.64**	**45.15**

भाग II : 30 सितंबर 2015 को समाप्त तिमाही एवं छमाही की चयनित सूचना

ए	शेयरधारिता का विवरण						
1	**सार्वजनिक शेयरधारिता :**						
	शेयरों की संख्या	42,51,16,338	35,91,14,303	35,90,85,115	42,51,16,338	35,90,85,115	35,90,85,115
	शेयरधारिता का प्रतिशत	32.20%	27.20%	27.20%	32.20%	27.20%	27.20%
2	**प्रोमोटर एवं प्रोमोटर ग्रुप शेयरधारिता**						
	(क) गिरवी/भारग्रस्त						
	शेयरों की संख्या	--	--	--	--	--	--
	शेयरों का प्रतिशत (प्रमोटर की कुल शेयरधारिता के % के रूप में)	--	--	--	--	--	--
	शेयरों का प्रतिशत (कंपनी की कुल शेयर पूंजी के % के रूप में)	--	--	--	--	--	--
	(ख) भार–मुक्त						
	शेयरों की संख्या	89,49,24,366	96,09,26,401	96,09,55,589	89,49,24,366	96,09,55,589	96,09,55,589
	शेयरों का प्रतिशत (प्रमोटर की कुल शेयरधारिता के % के रूप में)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	शेयरों का प्रतिशत (कंपनी की कुल शेयर पूंजी के % के रूप में)	67.80%	72.80%	72.80%	67.80%	72.80%	72.80%

बी	निवेशक की शिकायतें	समाप्त तिमाही 30.09.2015	
	विवरण	**इक्विटी शेयर**	**ऋण प्रतिभूतियाँ**
	तिमाही के प्रारंभ में लंबित	1	4
	तिमाही के दौरान प्राप्त	217	560
	तिमाही के दौरान निपटान	217	561
	तिमाही के अंत तक अनिर्णीत शेष	1*	3#
		* लंबित	# अब तक निष्पादित

एकल परिसंपत्तियों एवं देयताओं का विवरण

(₹ लाख में)

इक्विटी एवं देयताएं	30.09.2015 के अनुसार (अनंकेक्षित)	31.03.2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
1 शेयरधारकों की निधि		
(क) शेयर पूंजी	1,32,004	1,32,004
(ख) आरक्षितियां तथा अधिशेष	33,94,683	30,89,917
उप–योग – शेयरधारक निधि	**35,26,687**	**32,21,921**
2 गैर वर्तमान देयताएं		
(क) दीर्घ अवधि ऋण	1,65,33,599	1,64,97,346
(ख) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	26,456	18,925
(ग) अन्य दीर्घ अवधि देयताएं	37,316	33,381
(घ) दीर्घ अवधि प्रावधान	1,66,394	96,361
उप–योग – गैर वर्तमान देयताएं	**1,67,63,765**	**1,66,46,013**
3 वर्तमान देयताएं		
(क) दीर्घ अवधि ऋणों की वर्तमान परिपक्वता	20,00,177	18,73,528
(ख) लघु अवधि ऋण	0	4,06,441
(ग) अन्य वर्तमान देयताएं	7,91,702	6,66,015
(घ) लघु अवधि प्रावधान	49,764	52,523
उप–योग – वर्तमान देयताएं	**28,41,643**	**29,98,507**
कुल – इक्विटी तथा देयताएं	**2,31,32,095**	**2,28,66,441**
बी परिसंपत्तियां		
1 गैर वर्तमान परिसंपत्तियां		
(क) अचल परिसंपत्तियां	6,552	6,579
(ख) गैर वर्तमान निवेश	37,243	34,728
(ग) दीर्घ अवधि ऋण तथा अग्रिम	2,01,89,463	1,97,84,291
(घ) अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां	23,814	22,472
उप–योग – गैर वर्तमान परिसंपत्तियां	**2,02,57,072**	**1,98,48,070**
2 वर्तमान परिसंपत्तियां		
(क) अनुवर्ती निवेश	46,078	50,404
(ख) नकद एवं बैंक बैलेंस	8,960	5,07,080
(ग) दीर्घ अवधि ऋणों की वर्तमान परिपक्वता	18,83,080	16,31,209
(घ) लघु अवधि ऋण	3,07,900	2,88,722
(ङ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तिया	6,29,005	5,40,956
उप–योग – वर्तमान परिसंपत्तियां	**28,75,023**	**30,18,371**
कुल – परिसंपत्तियां	**2,31,32,095**	**2,28,66,441**

टिप्पणियां: 1. 30.09.2015 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के उपरोक्त वित्तीय परिणामों की क्रमशः 02.11.2015 और 03.11.2015 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा और संस्तुति की गई है। कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा इनकी समीक्षा की गई है। **2.** उपरोक्त भाग 1 के 2(क) में वित्त ब्याज एवं अन्य प्रभारों के संबंध में 30.09.2015 को समाप्त तिमाही और छमाही के दौरान किए गए प्रावधान निम्न रूप से शामिल हैं : (i) क्रमशः एनपीए ₹1824 लाख तथा ₹ 5873 लाख तदनुरूपी पूर्ववर्ती तिमाही एवं छमाही ₹9682 लाख और ₹21295 लाख क्रमशः), (ii) मानक परिसंपत्ति क्रमशः ₹30393 लाख और ₹31037 लाख क्रमशः (तदनुरूपी पूर्ववर्ती तिमाही एवं छमाही ₹(2833) लाख एवं ₹(1585) लाख क्रमशः); (iii) पुनर्संरचित मानक परिसंपत्ति ₹1564 लाख एवं ₹21698 लाख क्रमशः (तदनुरूपी पूर्ववर्ती तिमाही एवं छमाही ₹ 21531 लाख और 21531 लाख क्रमशः), और (iv) निवेशों के मूल्य में घटाव हेतु प्रावधान ₹4326 लाख और ₹4326 लाख क्रमशः (तदनुरूपी पूर्ववर्ती तिमाही एवं छमाही शून्य)। जहां तक मानक संपत्ति पर प्रावधान का संबंध है, आरबीआई मानकों में 31.03.2018 तक कंपनी को प्रावधान को चरणबद्ध तरीके में बढ़ाकर 0.40 प्रतिशत अपेक्षित है। कंपनी ने 30.09.2015 को समाप्त तिमाही के दौरान मानक ऋण संपत्ति पर प्रावधानीकरण में 0.25 प्रतिशत से 0.40 प्रतिशत तक की वृद्धि (बकाया पुनर्संरचित मानक ऋण संपत्ति को छोड़कर) की है। **3.** क) कम्पनी को सरकारी स्वामित्वाधीन गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनी होने के नाते प्रूडेंशियल मानकों से संबंधित आरबीआई के दिशानिर्देशों से छूट है। आरबीआई ने अपने पत्र दिनांक 25.07.2013 के द्वारा कम्पनी को 31.03.2016 तक आरबीआई के प्रूडेंशियल मानकों का अनुपालन करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, आरबीआई ने अपने पत्र दिनांक 03.04.2014 के द्वारा 31.03.2016 तक केन्द्रीय/राज्य सरकारी ईकाइयों के अनाश्रयता के संबंध में ऋण संकेंद्रण मानकों से छूट की अनुमति दी है। कंपनी विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार (जीओआई) द्वारा स्वीकृत अपने स्वयं के प्रूडेंशियल मानकों का पालन करती है (जिसमें निदेशक–मंडल द्वारा 09.03.2015 को आयोजित अपनी बैठक में स्वीकृत संशोधन शामिल हैं, जो विद्युत मंत्रालय की मंजूरी के अध्यधीन है) जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ ऋणों के पुनर्निर्माण/पुनर्निर्धारण/पुनर्व्यवस्था (आर/आर/आर) के मानक शामिल हैं, जो अनुमत करता है ; (i) सीओडी से पूर्व दो बार पुनर्निमाण (ii) ऋणों में छूट जिनमें केंद्र/राज्य सरकार की गारंटी हो और सरकारी विभाग को ऋण और ; (iii) सरकारी क्षेत्र के कर्जदारों के लिए पुनर्निर्माण के रूप ऋण के बगैर चुकौती अनुसूची के विस्तारण पर विचार नहीं करना। निदेशक मंडल द्वारा 09.03.2015 को आयोजित अपनी बैठक में स्वीकृत संशोधन के लिए विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 02.09.2015 के अपने पत्र के तहत कंपनी को कंपनी के प्रूडेंशियल मानकों में कोई संशोधन करने में आरबीआई के दिशानिर्देश/सलाह कर सख्ती से पालन करने के बारे में सूचित किया है। कंपनी ने दिनांक 27.10.2015 के पत्र के तहत विद्युत मंत्रालय से प्रूडेंशियल मानकों में प्रस्तावित संशोधनों के लिए मंजूरी प्रदान करने का पुनः अनुरोध किया है। आर/आर/आर मानकों के लिए आरबीआई ने दिनांक 03.04.14 के अपने पत्र के तहत कंपनी को दिनांक 23.01.2014 के आरबीआई के परिपत्र डीएनबीएस.सीओ.पीडी. सं. 367/03.10.01/2013–14 में निहित अनुदेशों का पालन करने की सलाह दी है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ डीसीसीओ में देरी की अधिकतम अवधि प्रदान करना शामिल है, जिसके लिए ऋण को पुनःसंरचित किया जा सकता है। आरबीआई के आर/आर/आर मानकों की अनुप्रयोज्यता के मामले को आरबीआई के साथ उठाया गया था। इस संबंध में आरबीआई ने अपने पत्र दिनांक 11.06.2014 के द्वारा तीन वर्षों, अर्थात् 31.03.2017 तक की अवधि के लिए पारेषण एवं वितरण, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण और लाइफ एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के साथ ही हिमालयी क्षेत्रों या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हाइड्रो परियोजनाओं हेतु अपने पुनर्निर्माण मानकों को लागू करने की छूट दी है। इसके अलावा, 01.04.2015 से प्रभावी उत्पादन कंपनी पुनर्निर्माण के लिए नये परियोजना ऋणों के लिए प्रावधान आवश्यकता 5 प्रतिशत होगी और सभी उत्पादन कम्पनियों के प्रति 31.03.2015 को ऐसे बकाया ऋणों के स्टॉक के लिए प्रावधान 31.03.2015 से प्रभावी 2.75 प्रतिशत का प्रावधान शुरू होगा तथा यह 31.03.2018 तक 5 प्रतिशत पहुंच जाएगा। यह प्रावधान शुद्ध मूल्य में कमी के प्रावधान से अलग है। कम्पनी ने अपने पत्र दिनांक 03.07.2014 के द्वारा इसकी कार्यान्वयन प्रक्रिया के बारे में आरबीआई को बताया है। इसके अलावा, दिनांक 27.11.2014 के कंपनी के पत्र के तहत दोहराया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह उल्लेख किया गया है कि 01.04.2015 से उत्पादक कंपनियों को स्वीकृत सभी नई परियोजना ऋणों को आर/आर/आर के आरबीआई मानकों द्वारा विनियमित किया जाएगा। आरबीआई ने दिनांक 04.02.2015 के अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि कंपनी का अनुरोध जांचाधीन है। आर/आर/आर मानकों के क्रियान्वयन के संबंध में आरबीआई का निर्णय आने तक कंपनी ऊपर उल्लिखित क्रियान्वयन के तरीके के साथ पठित अपने स्वयं के मानकों का पालन कर रही है। ख) वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी को मानक आर/आर/आर ऋण संपत्तियों पर प्रावधान को बढ़ाकर 2.75 प्रतिशत से 3.50 प्रतिशत करना अपेक्षित है और 30.06.2015 को समाप्त तिमाही के दौरान 0.75 प्रतिशत की दर पर उपरोक्त अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। 30.09.2015 को समाप्त तिमाही के दौरान ₹1564 लाख का प्रावधान किया गया है (तदनुरूपी पूर्ववर्ती तिमाही ₹21531 लाख)। ₹ 21698 लाख का प्रावधान 30.09.2015 को समाप्त छमाही के दौरान किया गया है (तदनुरूपी पूर्ववर्ती वर्ष ₹21531 लाख) 30.09.2015 को बकाया मान आर/आर/आर ऋण प्राइवेट क्षेत्र में ₹22,32,620 लाख है और सरकारी क्षेत्र में शून्य है (31.03.2015 को प्राइवेट क्षेत्र में ₹20,52,491 लाख और सरकारी क्षेत्र में शून्य है)। **4.** भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 03.07.2015 को प्राप्त दिनांक 30.06.2015 के पत्र द्वारा कंपनी को सलाह दी है कि कंसोर्टियम के तहत प्राप्त बकाया ऋणों के स्टॉक सहित सभी ऋण दिनांक 10.11.2014 के परिपत्र संख्या डीएनबीआर (पीडी) सीसी संख्या 002/03.10.001/2014–15 में निर्धारित किए गए परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंड द्वारा अभिशासित किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि कंसोर्टियम के तहत लए ऋणों के संबंध में लागू किया जाने वाला परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंड शीघ्र ही संसूचित किया जाएगा। तदनुसार कंपनी ने दिनांक 03.07.2015 से अपने प्रूडेंशियल मानदंड में संशोधन कर दिया है ताकि 31.03.2016 को बकाया और 5 माह या इससे अधिक समय से देय ऋण परिसंपत्तियों (पट्टा परिसंपत्तियों को छोड़कर) को गैर निष्पान परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। कंपनी ने दिनांक 13.08.2015 के पत्र द्वारा परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंड के कार्यान्वयन की रीति को संसूचित किया है। **5.** स्तरित ऋण परिसंपत्ति जिसे कंपनी ने 15.04.2015 को अब मानक श्रेणी में रखा है, के मामले में उधार लेने वाले ने आगे की जाने वाली कार्यवाई के मामले में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय से 17.06.2015 के आदेश द्वारा एड–स्थगन प्राप्त किया है। अगली सुनवाई दिनांक 17.11.2015 को होनी है और तदनुसार स्थगन बढ़ गया है। कंपनी ने परिसंपत्ति वर्गीकरण के मामले से कानूनी राय मांगी थी जिसके आधार पर ऋण परिसंपत्ति का पुनःवर्गीकरण कर पुनःस्तरित परिसंपत्ति से पुनःस्तरित मानक परिसंपत्ति कर दिया गया है तथा दिनांक 30.06.2015 के समाप्त तिमाही के दौरान खाते में किया गया ₹33,999 लाख का एनपीए प्रावधान उसी तिमाही में वापिस कर दी जायेगी। **6.** चालू तिमाही में बिहार मेगा पावर लिमिटेड नामक सहायक कंपनी बिहार राज्य में अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए शुरू की गई है। कंपनी ने ₹5 लाख के सममूल्य पर ₹10/– प्रत्येक के अंकित मूल्य के 50,000 इक्विटी शेयर अभिदान किए हैं। दोबारा कंपनी ने ₹10/– अंकित मूल्य के 50,000 इक्विटी शेयर अभिदान किए हैं जो 30.06.2015 को समाप्त तिमाही के दौरान निगमित प्रत्येक सहायक कंपनी में ₹ 5 लाख तक का सममूल्य होगा अर्थात देवघर इन्फ्रा लिमिटेड एवं बिहार इन्फ्रा पावर लिमिटेड। **7.** दिनांक 30.06.2015 को समाप्त तिमाही के दौरान कंपनी ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)। (एक संयुक्त उद्यम कंपनी) के ₹10/– प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर ₹2,500 लाख कुल सममूल्य के 2,50,00,000 इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन किया गया है। दिनांक 21.08.2015 को शेयरों का आबंटन कर दिया गया है। **8.** दिनांक 27 जुलाई, 2015 को भारत के राष्ट्रपति ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की माध्यम से कार्य करते हुए और उसके प्रतिनिधित्व के माध्यम से ₹10/– अंकित मूल्य 6,60,02,035 इक्विटी शेयरों की बिक्री प्रोमोटरों द्वारा "आफर फॉर सेल" के माध्यम से की है जो कंपनी की 72.80 प्रतिशत शेयरधारण में से कुल संदत इक्विटी शेयर पूंजी का 5 प्रतिशत है, यह बिक्री स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से की गई है। शेयरों की उत्तर बिक्री प्रोत्साहकों का शेयर धारण कंपनी की कुल संदत शेयर पूंजी का 67.80 प्रतिशत होता है। **9.** कंपनी इस अवधि के दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मदों के विनिमय अंतरों को चुकाती है। इसके परिणामस्वरूप दिनांक 30.09.2015 तक फारेन करेंसी मोनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस एकाउंट (एफसीएमआईटीडी) के अंतर्गत न चुकाया गया ऋण अंतर ₹60,462 लाख है (31.03.2015 के ₹38,056 लाख)। **10.** कंपनी का मुख्य कार्य विद्युत सेक्टर के धन उपलब्ध करवाना है। इस कारण भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 – अनुभाग प्रतिवेदन के अनुसार रिपोर्ट करने योग्य कोई पृथक अनुभाग नहीं है। **11.** कर व्ययों में वर्ष से तारीख आधार के कर प्रावधान तथा पूर्ववर्ती वर्ष के कर व्यय/समायोजन शामिल होते हैं। **12.** दिनांक 30.09.2015 को समाप्त तिमाही के आंकड़े दिनांक 30.09.2015 को समाप्त छमाही तथा दिनांक 30.06.2015 को समाप्त तिमाही लेखापरीक्षा किए गए आंकड़ों के बीच के शेष आंकड़े हैं। **13.** पूर्ववर्ती अवधि के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पुनः समूहबद्ध/पुनःवर्गीकृत किया गया है जिसे चालू अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाया जा सके।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.11.2015

हस्ता./–
(एम.के.गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन–00239813